



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0-1/1381/2011- 1247

दिनांक 28-3-2011

समस्त सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
उत्तर प्रदेश, ।

शासनादेश संख्या: 1785/80-1-2006-600(83)/88 दिनांक 26.08.2006 द्वारा खाल एवं चमड़ा को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से (01 अप्रैल, 2006 से) अगले 05 वर्ष तक मण्डी शुल्क व विकास सेस से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया था।


उपरोक्त समय सीमा दिनांक 31.03.2011 को समाप्त हो जाने के साथ खाल एवं चमड़ा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की सूची में स्वतः सम्मिलित समझा जायेगा। अतएव 01 अप्रैल, 2006 के पूर्व की भाँति खाल एवं चमड़ा पर मण्डी शुल्क व विकास सेस निर्धारित दर से नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक- उपरोक्त ।

प्रतिलिपि-समस्त उपनिदेशक (प्रशा0-विप0), मण्डी परिषद, उ0प्र0., को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

FAX


24.03.11
मण्डी निदेशक



राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ


पत्रांक: विप0-1/1381/2011-1247

दिनांक 28-3-2011

समस्त सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,
उत्तर प्रदेश, ।


शासनादेश संख्या: 1785/80-1-2006-600(83)/88 दिनांक 26.06.2006 द्वारा खाल एवं चमड़ा को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से (01 अप्रैल, 2006 से) अगले 05 वर्ष तक मण्डी शुल्क व विकास सेस से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

उपरोक्त समय सीमा दिनांक 31.03.2011 को समाप्त हो जाने के साथ खाल एवं चमड़ा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की सूची में स्वतः सम्मिलित समझा जायेगा। अतएव 01 अप्रैल, 2006 के पूर्व की भाँति खाल एवं चमड़ा पर मण्डी शुल्क व विकास सेस निर्धारित दर से नियमानुसार वसूल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।


24.03.11
(राजेश कुमार सिंह)
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक- उपरोक्त ।

प्रतिलिपि-समस्त उपनिदेशक (प्रशा0-विप0), मण्डी परिषद, उ0प्र0., को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।


24.03.11
मण्डी निदेशक
Omj
Ej